	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 20, 2020

संख्या एफ.8(1)/वी.डी.ए./न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट-1/6158 :-राजस्थान राज्य में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम-11,वर्ष 1948) की धारा 2(ध) में निहित प्रावधान सपठित श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.1(8) वी.डी.ए./न्यू.म./श्रम/ आई.आर./ 2000/12526 दिनांक 26.09.2000 के अनुसरण में एतद्द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा जुलाई 2019 से जून 2020 के लिये निर्मित किये गये है, को नियमानुसार प्रकाशित करता हूं।

क्र.सं.	माह/वर्ष	अजमेर केन्द्र	जयपुर केन्द्र
1	जूलाई 2019	7040.65	7031.20
2	अगस्त 2019	7064.60	7075.15
3	सितम्बर 2019	7160.39	7119.09
4	अक्टूम्बर 2019	7112.50	7185.01
5	नवम्बर 2019	7112.50	7141.06
6	दिसम्बर 2019	7184.34	7163.04
7	जनवरी 2020	7160.39	7163.04
8	फरवरी 2020	7160.39	7119.09
9	मार्च 2020	7160.39	7141.06
10	अप्रैल 2020	7160.39	7163.04
11	मई 2020	7160.39	7097.12
12	जून 2020	7184.34	7119.09
		85661.28	**85516.97**

उक्तानुसार उल्लेखित महीनों के दोनों केन्द्रों के सूचकांको का औसत योग 7132 घोषित करता हूँ। जो कि संबंधित अनुसूचित नियोजकों के श्रमिकों के निर्वाह व सूचकांक (Cost of living index number) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11.11.99 एवं एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 25.01.2000 के द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा।

प्रतीक झाझड़िया,
श्रम आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी,
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी
अधिनियम,1948 राजस्थान,जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।